नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962

)1962 का अधिनियम संख्यांक 27(

[4 सितम्बर, 1962]

**नागालैंड राज्य के बनाने के लिए
और उससे सम्बद्ध विषयों का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन"[1] से वह दिन अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;

(ख) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" तथा "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" के वे ही अर्थ हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं;

(घ) "विधि" के अन्तर्गत विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत या रूढ़ि या प्रथा भी है;

(ङ) "नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र" से संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग ख में विनिर्दिष्ट नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें वे क्षेत्र समाविष्ट हैं, जो संविधान के प्रारम्भ पर नागा पहाड़ी जिले तथा नागा जनजाति क्षेत्र के नाम से ज्ञात थे ;

(च) "प्रादेशिक परिषद्" से अनुच्छेद 371क में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् अभिप्रेत है ।

भाग 2

नागालैंड राज्य का बनाया जाना

3. नागालैंड राज्य का बनाया जाना—(1) नियत दिन से उन राज्यक्षेत्रों को समाविष्ट करके नागालैंड राज्य के नाम से ज्ञात एक नया राज्य बनाया जाएगा, जो नियत दिन से ठीक पूर्व नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र में समाविष्ट थे और उसके पश्चात् वे राज्यक्षेत्र आसाम राज्य का भाग नहीं रहेंगे ।

(2) नियत दिन के पश्चात्, किसी जिले का नाम, विस्तार या सीमाओं का परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोहिमा जिला, मोकोक्चुंग जिला तथा त्युएनसांग जिला कहलाने वाले तीन जिलों से मिलकर नागालैंड राज्य बनेगा, अनुसूची में वर्णित क्षेत्र क्रमश: प्रत्येक जिले में, समाविष्ट होंगे ।

4. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से संविधान की प्रथम अनुसूची में "1. राज्य" शीर्ष के नीचे—

(क) आसाम राज्य के राज्यक्षेत्रों से सम्बन्धित पैरा में, "आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"और वे राज्यक्षेत्र, जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में," ;

(ख) प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"16 नागालैंड ..... वे राज्यक्षेत्र, जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित हैं ।"

5. संविधान की षष्ठ अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से, संविधान की षष्ठ अनुसूची में,—

(क) पैरा 20 में,—

---

[1] 1-12-1963, देखिए अधिसूचना सं०सा०का०नि० 1735, तारीख 30-10-1963, भारत का राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3(i), पृ० 2030 (अंग्रेजी) ।

(i) उपपैरा (2ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपपैरा (3) में, "(नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र से भिन्न)" कोष्ठकों तथा शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी में, भाग ख में, "2. नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र" मद का लोप किया जाएगा ।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

6. राज्य सभा में प्रतिनिधित्व—नियत दिन से—

(क) राज्य सभा में नागालैंड राज्य को एक स्थान आबंटित किया जाएगा;

(ख) संविधान की चतुर्थ अनुसूची में, सारणी में,—

(i) 16 से 19 तक की प्रविष्टियां 17 से 20 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुन:संख्यांकित की जाएंगी,

(ii) प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"16. नागालैंड .....1".

(iii) अन्त में, "224" अंकों के स्थान पर "225" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

7. रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन—नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सभा में नागालैंड राज्य को आबंटित स्थान भरने के लिए निर्वाचन किया जाएगा ।

8. पदावधि—राज्य सभा में नागालैंड राज्य को आबंटित स्थान भरने के लिए प्रथम बार निर्वाचित सदस्य की पदावधि 1968 के अप्रैल के द्वितीय दिन समाप्त होगी ।

लोक सभा

9. लोक सभा में प्रतिनिधित्व—(1) नियत दिन से—

(क) लोक सभा में नागालैंड राज्य को एक स्थान आबंटित किया जाएगा;

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची में,—

(i) "25. नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र ..... 1" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;

(ii) 16 से 24 तक की प्रविष्टियां 17 से 25 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुन:संख्यांकित की जाएंगी;

(iii) प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"16. नागालैंड ..... 1" ।

(2) नागालैंड का सम्पूर्ण राज्य लोक सभा में उस राज्य को आबंटित स्थान भरने के प्रयोजन के लिए नागालैंड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कहलाने वाला एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

(3) अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13घ, नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में, इस उपान्तरण के साथ लागू होगी कि उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग की निर्वाचक नामावली का पृथक् रूप से बनाया जाना तथा उसका पुनरीक्षण करना आवश्यक होगा, जो त्युएनसांग जिले में समाविष्ट है, और उस अधिनियम के भाग 3 के उपबन्ध उक्त भाग के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू हों ।

10. आसीन सदस्य के बारे में उपबन्ध—नियत दिन के ठीक पूर्व नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का आसीन सदस्य, उस दिन से उस सदन में नागालैंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा और जब तक नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थान भरने के लिए विधि के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचित न कर लिया जाए तब तक ऐसा प्रतिनिधित्व करता रहेगा ।

विधान सभा

11. विधान सभा की सदस्य संख्या—(1) नागालैंड की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या साठ होगी :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए नागालैंड की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या [1][बावन] होगी, जिनमें से—

(क) [2][बारह स्थान] त्युएनसांग जिले को आबंटित किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति में, जैसी राज्यपाल उस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिट करें, चुने जाएं, तथा

(ख) शेष चालीस स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो शेष नागालैंड राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएं ।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में,—

(क) धारा 7 में, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए, नागालैंड की विधान सभा को आबंटित स्थानों की कुल संख्या छियालीस होगी, जिनमें से—

(क) छह स्थान त्युएनसांग जिले को आंबटित किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति में, जैसी राज्यपाल उस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, चुने जाएं, तथा

(ख) शेष चालीस स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो शेष नागालैंड राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएं ।";

(ख) द्वितीय अनुसूची में, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"15. नागालैंड ..... 60 [अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अवधि के लि.....46]" ।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 5 के खण्ड (ग) के अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैंड की विधान सभा में त्युएनसांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने हेतु चुने जाने के लिए आर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् का सदस्य न हो ।"।

(4) निर्वाचन आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संविधान के उपबन्धों के अनुसार सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, और ऐसा करने में आयोग निम्नलिखित उपबन्धों पर ध्यान देगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यावत्साध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं संचार की सुविधाओं सार्वजनिक सुविधा तथा लोगों के भाषायी सादृश्य को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, तथा

(ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक हो सके छह हजार से अधिक नहीं होगी ।

(5) इस धारा के अधीन, अपने कार्य के पालन में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, आयोग अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा, जिनमें से तीन व्यक्ति नागालैंड (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विनियम, 1961 (1962 का विनियम 2) की धारा 3 के अधीन गठित अन्तरित निकाय के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे और दो व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे :

परन्तु उक्त सहयुक्त सदस्यों में से किसी भी सदस्य को निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर मतदान करने का या उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(6) निर्वाचन आयोग—

(क) उपधारा (4) में वर्णित मामलों की बाबत अपने प्रस्ताव तैयार करेगा और उन्हें आसाम राज्य के राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जैसा आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा, जिसके साथ एक सूचना भी होगी, जिसमें प्रस्तावों के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे तथा जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसको या जिसके पश्चात् उसके द्वारा उन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा ;

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 61 की धारा 3 द्वारा "46 " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1968 के अधिनियम सं० 61 की धारा 3 द्वारा "छह स्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करेगा और ऐसे विचार करने के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक सार्वजनिक बैठकें, ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा, जैसा वह ठीक समझे;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उपधारा (4) में वर्णित मामलों का एक या अधिक अन्तिम आदेशों द्वारा अवधारण करेगा और ऐसा आदेश या ऐसे आदेश आसाम राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन पर उस आदेश या उन आदेशों को विधि का पूरा बल होगा और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ;

(घ) संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1961 का इस प्रकार संशोधन करेगा ताकि उसमें नागालैंड का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा इस धारा के अधीन परिसीमित सभा निर्वाचन-क्षेत्र सम्मिलित हो जाए ।

12. प्रक्रिया के नियम—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व आसाम विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के बारे में प्रवृत्त नियम, जब तक अनुच्छेद 208 के खण्ड (1) के अधीन नियम नहीं बनते, उसके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए गए उपांतरों और अनुकूलनों सहित नागालैंड विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम होंगे ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

13. आसाम तथा नागालैंड के लिए सामान्य उच्च न्यायालय—(1) नियत दिन से—

(क) आसाम राज्य और नागालैंड राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, जो आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय कहलाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् सम्मिलित उच्च न्यायालय कहा गया है ;)

(ख) उस दिन के ठीक पूर्व आसाम उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, जब तक वे अन्यथा वरण न करें, उस दिन सम्मिलित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे ।

(2) सम्मिलित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में व्यय, आसाम राज्य तथा नागालैंड राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे ।

14. अधिवक्ताओं के बारे में उपबन्ध—(1) नियत दिन से—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 3 की उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) आसाम और नागालैंड राज्यों तथा मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधिज्ञ परिषद् होगी, जो आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात होगी;";

(ख) आसाम की विधिज्ञ परिषद् के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, आसाम उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता है, सम्मिलित उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा ।

(3) वे सब व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व आसाम विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज हों, उस दिन से आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में दर्ज अधिवक्ता हो जाएंगे ।

(4) सम्मिलित उच्च न्यायालय में सुने जाने का अधिकार उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जो आसाम के उच्च न्यायालय में सुने जाने के अधिकार की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों :

परन्तु जहां तक आसाम के महाधिवक्ता और नागालैंड के महाधिवक्ता के सुने जाने के अधिकार का संबंध है, वह अधिवक्ता के रूप में उनके नामांकन किए जाने की उनकी अपनी-अपनी तारीख के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा ।

15. सम्मिलित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया—इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आसाम उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरों सहित सम्मिलित उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी ।

16. सम्मिलित उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा—आसाम उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में, नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि आवश्यक उपान्तरों सहित, सम्मिलित उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा की बाबत लागू होगी ।

17. रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप—आसाम उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरों सहित, सम्मिलित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत लागू होगी ।

18. न्यायाधीशों की शक्तियां—आसाम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों के सम्बन्ध में और उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के सम्बन्ध में, नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरों सहित, सम्मिलित उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होगी ।

19. सम्मिलित उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान—सम्मिलित उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान, जब तक मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आसाम और नागालैंड के राज्यपालों से परामर्श के पश्चात् अन्यथा अवधारित न किया जाए, जब तक उसी स्थान पर होगा, जहां नियत दिन के ठीक पूर्व, आसाम उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान था ।

20. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के विषय में प्रक्रिया—आसाम उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों से सम्बन्धित जो विधि नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, वह आवश्यक उपान्तरों सहित, सम्मिलित उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होगी ।

21. लम्बित वाद, अपीलें तथा कार्यवाहियां—आसाम उच्च न्यायालय में नियत दिन के ठीक पूर्व लम्बित सभी सिविल, दाण्डिक या अन्य वाद, अपीलें तथा कार्यवाहियां उस दिन सम्मिलित उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जाएंगी तथा सम्मिलित उच्च न्यायालय को उन्हें सुनने तथा उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी, और नियत दिन के पूर्व आसाम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, पारित की गई डिक्रियों, दण्डादेशों या दिए गए आदेशों का वैसा ही बल और प्रभाव होगा मानो वे सम्मिलित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं या पारित किए गए हैं ।

भाग 5

वित्तीय उपबंध

22. विधान-मंडल की मंजूरी मिलने तक व्यय का प्राधिकरण—राष्ट्रपति, ऐसा व्यय, जो वह आवश्यक समझे, नियत दिन के पूर्व किसी समय नागालैंड राज्य की संचित निधि में से, किसी अवधि के लिए, जो नियत दिन से प्रारम्भ हो कर छह मास से अनधिक नहीं होगी, तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसा व्यय नागालैंड राज्य के विधान-मंडल द्वारा मंजूर न कर दिया जाए :

परन्तु नियत दिन के पश्चात् उक्त छह मास की अवधि के भीतर की किसी अवधि के लिए नागालैंड का राज्यपाल, नागालैंड राज्य की संचित निधि में से ऐसा और व्यय, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

[1][**22क. नागालैंड के राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार**—नागालैंड के राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार, जब तक कि संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त संविधान के अनुच्छेद 158 के खंड (3) के अधीन, उपबंध नहीं किया जाता है, वे होंगे जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करे ।]

23. राजस्व का वितरण—राष्ट्रपति नागालैंड राज्य के राजस्व का सहायता-अनुदान तथा संघ के उत्पाद-शुल्क, सम्पदा-शुल्क तथा आय पर कर में उस राज्य के अंश का आदेश द्वारा अवधारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए, उसके द्वारा संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 का 3), अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58), सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 का 9) तथा संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1962 (सं०आ० 63) के सुसंगत उपबन्धों का ऐसी रीति से संशोधन करेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

24. संपत्ति, आस्तियां, अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं—(1) नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र में अवस्थित या उसके लिए प्रयुक्त, या उसके प्रशासन से सम्बन्धित तथा नियत दिन के ठीक पूर्व संघ में निहित सभी संपत्ति तथा आस्तियां (संघ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार निहित किसी संपत्ति या आस्तियों से भिन्न) उस दिन से, नागालैंड राज्य में निहित होंगी :

परन्तु नियत दिन के ठीक पूर्व नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र में के खजानों की रोकड़ अतिशेष उस दिन से, नागालैंड में निहित होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार के सभी ऐसे अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं चाहे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हों, जो नियत दिन के ठीक पूर्व नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र के प्रशासन से या उसके सम्बन्ध में उद्भूत होने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं हैं, उस दिन से, नागालैंड राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं होंगी ।

25. करों की बकाया—किसी ऐसे कर या शुल्क की (जो संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित कोई कर या शुल्क है) बकाया को, जो नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र में शोध्य है, वसूल करने का अधिकार नागालैंड राज्य को संक्रान्त हो जाएगा ।

भाग 6

विधिक तथा प्रकीर्ण उपबन्ध

26. विद्यमान विधियों का बने रहना तथा उनका अनुकूलन—(1) नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र में नियत दिन के ठीक पूर्व, प्रवृत्त सभी विधियां, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न की जाएं, तब तक नागालैंड राज्य में प्रवृत्त बनी रहेंगी ।

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा (26-7-1981 से) अंत:स्थापित ।

(2) नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि का लागू होना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार उस दिन से दो वर्ष के भीतर, आदेश द्वारा उस विधि के ऐसे अनुकूलन और उपान्तर, चाहे निरसन या संशोधन द्वारा हों, जैसा आवश्यक या समीचीन हों, कर सकेगी और उसके पश्चात्, प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, तब तक प्रभावी होगी जब तक सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "समुचित सरकार" पद संविधान की सप्तम अनुसूची में संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से सम्बन्धित किसी विधि की बाबत केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य विधि की बाबत नागालैंड की सरकार अभिप्रेत है ।

27. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति—इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 26 के अधीन कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में, उसका लागू होना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का, सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से अर्थान्वयन कर सकेगा, जो, यथास्थिति, उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष के मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो ।

28. न्यायालय तथा अधिकारियों आदि की बने रहने के बाबत उपबन्ध—(1) सम्पूर्ण नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधियुक्त कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी न्यायालय तथा अधिकरण तथा सभी प्राधिकारी, जब तक इस अधिनियम के उपबन्धों से उनका बने रहना असंगत न हो या जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य उपबन्ध न किए गए हों, तब तक उनके अपने-अपने कृत्यों का प्रयोग करते रहेंगे ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र या उसके किसी भाग के प्रशासन से संबंधित कोई पद धारण करता हो या किसी अधिकार-पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, तब के सिवाय जब इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप ऐसे पद या अधिकार-पद का विद्यमान होना उस दिन समाप्त हो जाता है, नागालैंड राज्य में वही पद या अधिकार-पद धारण करता रहेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है ।

(3) उपधारा (2) की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन के पश्चात् किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, उसके ऐसे पद या अधिकार-पद में बने रहने पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित करने से निवारण करती है ।

29. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन—नियत दिन से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के खंड (ग) में, "तथा आसाम" शब्दों के स्थान पर "आसाम तथा नागालैंड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

30. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि में किसी बात के उसमें असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

31. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई भी बात कर सकेगा, जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो तथा जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

32. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के [1][जिसमें या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के,] या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

33. [निरसन ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 56) की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा निरसित ।

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा (26-7-1981 से) "जिसमें वह ऐसे रखा गया हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुसूची

[धारा 3(2) देखिए]

	जिला	क्षेत्र
1.	कोहिमा	वे क्षेत्र, जो 1957 के दिसम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व नागा पहाड़ी जिले में समाविष्ट थे किन्तु इस क्षेत्र के अन्तर्गत मद संख्या 2 में यथा विनिर्दिष्ट मोकोब्क्चुंग जिले वाला क्षेत्र नहीं है ।
2.	मोकोक्चुंग	वे क्षेत्र, जो 1957 के दिसम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व नागा पहाड़ी जिले के मोकोकचुंग उपखंड में समाविष्ट थे ।
3.	त्युएनसांग	वे क्षेत्र, जो 1957 के दिसम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के त्युएनसांग सीमान्त खंड में समाविष्ट थे ।

———